

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्या: 91/2022 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2022/110

नगर पालिका सूरतगढ़ जरिये अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका सूरतगढ़
तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

— अपीलान्त

बनाम



1. भंवरलाल पुत्र श्री पूर्णराम जाति वैरागी (फौत) जरिये वारिसान—
1/1. श्रीमती सीमा देवी पत्नी भंवरलाल
1/2. मनोज कुमार पुत्र भंवरलाल
1/3. दीपक स्वामी पुत्र भंवरलाल
1/4. सुमित स्वामी पुत्र भंवरलाल
} अकवाम वैरागी निवासीयान
वार्ड नं. 11 कल्याण भूमि के
सामने सूरतगढ़ तहसील
सूरतगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

— रेस्पोंडेंट्स

उपस्थित: श्री बहादुरराम सुथार — अभिभाषक अपीलांत
श्री बालकिशन शर्मा — अभिभाषक रेस्पोंडेंट सं. 1

निर्णय

दिनांक 28.01.2026

यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 30.03.2022 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील मीमों अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि—

- 1— वादग्रस्त भूमि रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नंबर 487/4 की तादादी 4.769 हैक्टेयर रेस्पोंडेंट संख्या 1 को टीसी आवंटित भूमि है। उक्त आवंटित रकबा पैराफेरी क्षेत्र में आने के कारण रेस्पोंडेंट सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 09.06.2006 के विरुद्ध अपील पेश की, जिसे अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.03.2022 पारित करते हुए स्वीकार कर लिया।



संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील पेश की है।

2- अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी मय शपथ व मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर अपीलांट को अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करने व अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपीलांट को अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाकर अपील अपीलांट को मियाद में शुमार किया जाता है।

3- विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री बहादुरराम सुथार ने अपनी बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.03.2022 पूर्णतया एकतरफा व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। जैर अपील रकबा रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नंबर 487/4 का 4.769 हैक्टेयर, जो पूर्व में रेस्पों. सं. 1 को टी.सी. आवंटन था, जिसका सम्वत् 2043 से कभी भी लगातार नवीनीकरण नहीं हुआ है व भूमि आराजीराज थी। इसकारण से रेस्पोंडेन्ट सं. 1 का कब्जा काश्त पिछले काफी वर्षों से नहीं रहा है। उक्त भूमि राज्य सरकार एवं जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के आदेशों के मुताबिक कस्बा सूरतगढ़ के पैराफेरी क्षेत्र में आने के कारण खारिज किया जाकर नगरपालिका सूरतगढ़ को वर्ष 2006 में सौंप दिया गया। मौके पर अपीलांट द्वारा विकास कार्य किया जा रहा हैं। वादगत रकबा नगर पालिका की 2 किमी की परिधि में आ चुका है, जहां न तो खातेदारी मिल सकती है और न ही टी.सी. आवंटन नवीनीकरण किया जा सकता है। वादगत रकबा का स्वामित्व/कब्जा अपीलांट के पास है। अधीनस्थ न्यायालय ने विना रिपोर्ट मंगाए आदेश जैर अपील, पारित करने में कानूनी भूल की है। आदेश जैर अपील 16 वर्ष बाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई, जो मियाद बाहर थी। अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी जब हुई जब अपीलांट के कर्मचारी वादगत भूमि पर विकास कार्य कर रहे थे। अपीलाधीन रकबा अपीलांट को दिनांक 09.06.2006 को हस्तांतरित हो चुका है। इस रकबा में अपीलांट ने आवादी बनाई हुई है। रेस्पों. सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को पक्षकार ही नहीं बनाया। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधिविरुद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।




संभागीय आयुक्त
सूरतगढ़

4- विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट ने बहस के दौरान कथन किया कि तहसीलदार सूरतगढ़ ने आदेश दिनांक 09.06.2006 रेस्पों. सं. 1 को बिना सुने, बिना साक्ष्य के जारी कर रेस्पों. के 30 वर्ष पुराने टी.सी. आवंटन को अपने ही कयासो के आधार पर खारिज कर दिया। अपीलांट को उक्त भूमि राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्तें सन् 1995 के प्रावधानों के अंतर्गत सन् 1970 में अस्थाई पट्टा पर आवंटित हुई थी, जिसका आवंटन से लेकर संवत् 2061 तक नवीनीकरण होता रहा है। तहसीलदार सूरतगढ़ ने केवल पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर रेस्पों. का रकबा नगरपालिका पैराफैरी क्षेत्र में आना मानकर खारिज कर दिया। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.03.2022 पारित करते हुए तहसीलदार सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 09.06.2006 को निरस्त किया जाना उचित एवं सही है। तहसीलदार सूरतगढ़ ने अपीलांट का वादगत रकबा नगरपालिका की सीमा के 2 किलोमीटर की परिधि में मानकर खारिज कर दिया जबकि रेस्पों. का उक्त रकबा 2 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर है। तहसीलदार सूरतगढ़ को रेस्पों. के उक्त टी.सी. आवंटन को खारिज करने का अधिकार ही नहीं है। अपीलांट द्वारा वादगत भूमि में कोई स्कीम नहीं चला रखी है। आदेश दिनांक 09.06.2006 में वेस्ट लैण्ड आवंटन नियम का हवाला दिया गया जबकि उक्त नियम 1996 में बने एवं वादगत भूमि वर्ष 1970 से ही आवंटित होकर निरंतर कब्जे काश्त में चली आ रही थी। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश सही एवं नियमानुसार है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

5- हमने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.03.2022 पारित कर रेस्पों. सं. 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश अपील को स्वीकार करते हुए तहसीलदार सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 09.06.2006 को निरस्त कर दिया। जैर आदेश अपील अधीनस्थ न्यायालय में मियाद वाहर पेश हुई थी। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर दिये बिना तथा मियाद के बिन्दु को तय किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो न्यायोचित नहीं है। उक्त परिपेक्ष्य में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.03.2022 निरस्त किया जाता



संभार्य आधुनिक
विकास

है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ को समस्त संबंधित पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान किये जाने के निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है।

6- तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 28.01.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर